उपखण्ड अधिकारी
करौली

13/3/18	श्रीमान [illegible] के कारण आज दिनांक 13/3/18 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 3/5/18 को की जावेगी।
3/5/18	श्रीमान PO साहब न्याय आपके द्वार अभियान में पधारने के कारण आज दिनांक 3/5/18 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 19/7/18 को की जावेगी।
19/7/18	श्रीमान PO सा० का स्थानान्तरण हो जाने के कारण आज दिनांक 19/7/18 को प्रतिवादी के जवाब पेश किये विचाराधीन राजस्व मुकदमात की जो शामिल मिसल किया गया सुनवाई दिनांक 11/9/18 को की जावेगी।
11/9/18	श्रीमान PO सा० के कार्य व्यवस्था में होने के कारण आज दिनांक 11/9/18 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 30/10/18 को की जावेगी।
30.10.18	श्रीमान PO सा० के चुनाव की व्यस्तता में व्यस्त होने के कारण आज दिनांक 30.10.18 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 15.1.19 को की जावेगी।
15.1.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित पैरोकार सरकार उपस्थित बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन [illegible]

में जारी हुए

किया गया वादीगण द्वारा यह वाद पत्र खसरा नं. 1101 लगायत 1108 कुल किता 8 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ग्राम बिकवाइया परगना हल्का तहसील अरौली का अन रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर मृतक भौरू सिंह के स्थान पर अपने को खातेदार घोषित कराने का प्रस्तुत किया है। जिसके समर्थन में वादी ने असल वसीयत नामा दिनांक 11.2.1981 व जमा बन्दी सम्वत 2068-71 प्रस्तुत किये हैं वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य मे वादी गोविन्द सिंह गवाह भम्बल व वादामी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे मे वसीयत पंजीकृत नहीं होना एवं भूमि स्व अर्जित नहीं होना कथन किया है और दावा बेकन मियाद मानते हुये खारिज किये जाने का कथन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत नामा प्रदर्श-2 दो गवाहों से अनुप्रमाणित नहीं है एवं वादी द्वारा वसीयत के किसी भी गवाह को न्यायालय मे परीक्षित नहीं कराया गया है जिससे वसीयत विधि साक्ष्य प्रावधान के तहत साबित नहीं है और वसीयत से वादी सक्षम न्यायालय से प्रोबेट पत्र/उत्तराधिकार पत्र प्राप्त किये बिना मृतक भौरू सिंह की खाते दारी की भूमि मे घोषणा खातेदारी कराने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है वादी अपने वाद को साबित करने मे असफल रहा है दावा वादी चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी खारिज किया जाता है। दनुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार

पटवार हल्का [illegible] तहसील करौली का
अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर मृतक
भौरू सिंह के स्थान पर अपने को खातेदार
घोषित कराने का प्रस्तुत किया है। जिसके
समर्थन मे वादी ने असल वसीयत नामा
दिनांक 11.2.1981 व जमा बन्दी सम्वत
2068-71 प्रस्तुत किये है। वादीगण ने अपनी
मौखिक साक्ष्य मे वादी गोविन्द सिंह गवाह
भम्बल व बादामी के शपथ पत्र प्रस्तुत
किये है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे
मे वसीयत पंजीकृत नही होना एवं भूमि
स्वअर्जित नही होना कथन किया है।
और दावा बेबुनियाद मानते हुये खारिज
किये जाने का कथन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत नामा
प्रदर्श-2 दो गवाहो से अनुप्रमाणित नही
है एवं वादी द्वारा वसीयत के किसी भी
गवाह को न्यायालय मे परीक्षित नही कराया
गया है जिससे वसीयत विधि साक्ष्य प्रावधान
के तहत साबित नही है। और वसीयत
से वादी सक्षम न्यायालय से प्रोबिट पत्र/
उत्तराधिकार पत्र प्राप्त किये बिना मृतक
भौरू सिंह की खाते वाली की भूमि मे घोषणा
खातेदारी कराने का अधिकार प्राप्त नही
होता है। वादी अपने वाद को साबित
करने मे असफल रहा है। दावा वादी
चलने योग्य नही है।

अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी
खारिज किया जाता है। दनुसार पर्चा
डिक्री जारी हो। पत्रावली कैसल शुमार
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)